परीक्षा समिति की आपात् बैठक दिनाङ्क: 30.03.2013 का कार्यवृत्त

आज दिनाङ्क 30.03.2013 को अपराह्न 05:30 बजे विश्वविद्यालय के सेण्टर फॉर एकेडमिक्स भवन में परीक्षा समिति की आपात् बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 आशा रानी राय, प्राचार्या, कानपुर विद्या मन्दिर महिला महाविद्यालय, कानपुर।	सदस्या
3.	डॉ0 श्याम बाबू गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	डॉ0 जितेन्द्र कुमार सिंह, प्राचार्य, सर्वोदय विद्यापीठ डिग्री कालेज, सलोन, रायबरेली।	सदस्य
6.	डॉ0 सुशील कुमार शर्मा, प्राचार्य, जनता महाविद्यालय, अजीतमल, औरैया।	सदस्य
7.	प्रो0 सुभाष अग्रवाल, शिक्षक–प्रशिक्षण विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 नीरज कुमार सिंह, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 आर0के0 सिंह, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी शिक्षक एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डॉ0 देवेन्द्र अवस्थी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी शिक्षक एसोसिएशन।	सदस्य
11.	श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों के स्वागतोपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 14.03.2013 में दिये गये निर्णय के आलोक में वर्ष 2012–13 की व्यक्तिगत परीक्षाओं को शान्तिपूर्ण, पारदर्शी व नकलविहीन ढ़ग से सम्पन्न कराने के क्रम में सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. (क) सत्र 2012–13 की व्यक्तिगत परीक्षाएं राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयो में सम्पन्न करायी जायें। समिति के सचिव ने अवगत कराया कि कतिपय राजकीय महाविद्यालयों ने स्टाफ की कमी के कारण व्यक्तिगत परीक्षा कराने में असमर्थता व्यक्त की है। उक्त पर विस्तृत विचार–विमर्श के बाद परीक्षा समिति ने सम्बन्धित महाविद्यालयों की असमर्थता को औचित्यपूर्ण नहीं पाया। समिति ने मत व्यक्त किया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं (संस्थागत एवं व्यक्तिगत) कराना महविद्यालयों का दायित्व है। विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 13.18, शासन के सम्बद्धता आदेश, विश्वविद्यालय सम्बद्धता पृष्ठांकन आदेश में उल्लिखित शर्तो एवं शिक्षक आचार संहिता के आलोक में व्यक्तिगत परीक्षा केन्द्र हेतु वांछित महाविद्यालयों को परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रेषित कर दिये जाय।

(ख) परीक्षा सम्बन्धी सामान्य निर्देश पुनः महाविद्यालयों को प्रेषित किये जाय।

(ग) अवकाश के दिनों में परीक्षा सम्बन्धी कार्य करने के सापेक्ष शिक्षकों को नियमानुसार प्रतिकर अवकाश प्रदान किये जाने हेतु सक्षम अधिकरियो को पत्र लिखकर अनुरोध किया जाय।

(घ) परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि व्यक्तिगत परीक्षा से सम्बन्धित छात्राओं के परीक्षा केन्द्र सम्बन्धित जनपद में ही रखें जाय। छात्रों के परीक्षा केन्द्र भी यथासम्भव सम्बन्धित जनपद में ही रखें जाय। जनपद में उपलब्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों की क्षमता से अधिक छात्र संख्या होने की स्थिति में छात्रों को निकटवर्ती जनपद अथवा कानपुर नगर के राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों (परीक्षा केन्द्र) में समायोजित किया जाय।

(घ) प्रयाग महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद को व्यक्तिगत परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र बनाया जाय तथा महाविद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक/शिक्षिका को केन्द्राध्यक्ष नियुक्त किया जाय।

सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

(प्रो० अशोक कुमार)
कुलपति

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव